


सी हट
नी तामील में
व ताम
म जो है

पटवारी हाका राजपुरवा १। लरदिमा उर्फ सगंडिया

पुकरासः 114/2020 पुकेरलिपी 22/12/20 निर्णय दिनांक 3.7.23

3.7.23 आज पटवारी पेश हुई। रिपोर्ट पटवारी हाका अनुसार संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से हैं। गेट साफल लरदिमा उर्फ सगंडिया पूरा गंगा कोष बंगारा निवासी राजपुरवा ने ग्राम राजपुरवा के आगामी ख.न. 244/23 02 रकबा 14.47 है इमि-चारागाह पर 0.01 है इमि पर सन् 2077 में शकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। गेट साफल के विरुद्ध पुकरा शकलपत्र नू-राजलव अधीनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज अतिक्रमण गेट साफल को नोटिस क्रमांक 5172 दिनांक 23-12-20 जारी कर तालब किया गया, गेट साफल की इाद से एडोकेटरी मनिष घोसिने ए. उपाध्ये। एक इकगन करण गया कि उक्त अतिक्रमण के लखलख में मानवीप सिविल इन्फार्मेशन मेसोदप-राजगढ़ के प्रेष ले स्थगन आदेश हो गया है। आगामी पेश पर स्थगन आदेश की प्रति पेश कर दी जावेगी उक्त पुकरा में मानवीप सिविल इन्फार्मेशन मेसोदप राजगढ़ के प्रेष ले स्थगन आदेश दिनांक 16-1-21 की मफल आदेशिका पेश की गई जो शारील पटवारी की गई। उक्त सन्दर्भ में वरिष्ठ लिखित स्थगन आदेश की आदेशिका पेश करने हेतु गेट साफल को पुनः वासत जारी कर तालब किया गया। गेट साफल बा.पू. तामिल (पंचा) के अनुपाध्ये। जोहर है गेट साफल को अब किसी भी सखत न्यायालय ले स्थगन नहीं हो। अतिक्रमण काबिल बंदवानी है।


तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

